तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-10-25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किये गये कि प्रश्नगत भूमि दिनांक 03–11–1988 को राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कर दी गई थी। अपीलाधीन भूमि जरिये सेल रेस्पोडेन्ट मनीराम को दिनांक 27–06–1990 को सक्षम अधिकारी द्वारा बैचान कर दी गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा राज्य सरकार को इसकी कीमत जमा करवाई जा चुकी है। बैचान निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। अपीलांट को अपील पेश करने की कोई अधिकारिता नही है। अपीलांट द्वारा 27 वर्ष बाद हस्तगत अपील पेश की गई है। जो कि स्पष्टतः मियाद बाहर है। अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर न तो कब्जा है न ही अपीलांट के नाम कोई खाता खुला है ना ही अपीलांट द्वारा कोई किस्त जमा करवाई गई है। कब्जे एवं किस्त के अभाव में उपनिवेशन अधिनियम के नियम 7 के तहत अपीलांट को टिनेन्ट नही माना जा सकता है। अतः अपीलांट अपीलाधीन आराजी में हितबद्धता नही रखने से अपील खारिज योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी/अपीलांट ने जवाब बहस में कथन किये कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कब्जा है अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है। मियाद के बिन्दू पर अधिवक्ता द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करने का कथन किया अपीलांट द्वारा कथन किये गये कि अपीलांट के विरूद्ध धारा 22 की कार्यवाही से प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट का कब्जा होना साबित होता है। अतः प्राथमिक आपत्ति खारिज फरमाई जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस से मुख्य रूप से निम्नाकिंत प्राथमिक आपत्तिया होना जाहिर होता है– 1. अपील अपीलांट मियाद बाहर है। 2. अपीलांट को अपील पेश करने की अधिकारिता नही है। 3. प्रश्नगत आराजी गजट में प्रकाशित थी जिसे विशेष आवंटन के जरिये रेस्पोडेन्ट को बैचान किया गया। अंतः इसे डिनोटिफाई किये बिना अन्य को आवंटन नही हो सकता। जहॉ तक मियाद का प्रश्न है हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27–06–1990 के विरूद्ध दिनांक 21–12–2017 को प्रस्तुत की गई है। अपील लगभग 27 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। स्पष्ट है कि अपील मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब कंडोन करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। न्यायालय को यह विचारण करना है कि क्या विलम्ब की अवधि	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अत्यधिक है अथवा नही? क्या अपीलांट द्वारा विलम्ब हेतु दर्शित कारण 'पर्याप्त कारण' है जिससे की न्यायालय का यह समाधान हो कि विलम्ब हेतु उत्तरदायी परिस्थितियॉ ऐसी थी, जो कि अपीलांट के नियंत्रण से बाहर हो।

प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन आराजी चक 660–500 आरआरडी मुरब्बा नं. 234/21 दिनांक 14–10–1988 के गजट में विशेष आवंटन हेतु प्रकाशित भूमि थी। यह उपधारणा की जाती है कि गजट में प्रकाशित भूमि की जानकारी सर्वसामान्य को होती है। फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट वहॉ उपस्थित नही था। ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति से यह अपेक्षा नही की जा सकती कि उसे प्रत्येक गजट नोटिफिकेशन की जानकारी हो। अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित होने से एकपक्षीय आदेश की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके विरोध में कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही हुआ है। अतः अपीलांट के द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में विलम्ब कंडोन करते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 25–04–2025 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन आराजी चक 660–500 आरआरडी मुरब्बा नं. 234/21 दिनांक 14–10–1988 के गजट में विशेष आवंटन हेतु प्रकाशित भूमि थी। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि रेस्पोडेन्ट मनीराम को प्रश्नगत भूमि जरिये विशेष आवंटन दिनांक 21–07–1990 को आवंटित हुई। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि को कभी भी डिनोटिफाइ किया गया हो।

वरवक्त आवंटन प्रश्नगत आराजी अराजीराज थी जो गजट में प्रकाशित होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए वरियता के आधार पर इसका आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया है। अतः रेस्पोडेन्ट इस आराजी का सद्भावित क्रेता है। यह विधिक स्थिति है कि जब तक प्रश्नगत भूमि डिनोटिफाई नही होती तब तक अपीलांट इस भूमि में कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। जरिये अपील अपीलांट अपीलाधीन आराजी में कोई अनुतोष नही ले सकता।

उक्त विवेचन के आधार पर प्राथमिक आपत्ति प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट स्वीकार कर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर